राजस्थान–सरकार

न्यायालय जिला कलक्टर डूंगरपुर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी : अंकित कुमार सिंह (आई.ए.एस)

प्रकरण सख्या :–07 / 2022 दायर दिनांक :–08.03.2022
जीसीएमएस नं.–2022 / 57 निर्णय दिनांक :–18.02.2026

1. श्री नाना पिता सना जी डामोर जाति डामोर निवासी वक्तापुर तहसील–सीमलवाडा जिला–डूंगरपुर

प्रार्थी

–:: बनाम ::–

1. हिरा पिता पुंजा डामोर जाति डामोर निवासी वक्तापुर तहसील–सीमलवाडा जिला डूंगरपुर
2. श्रीमति झाझम पत्नि हिरा डामोर जाति डामोर निवासी वक्तापुर तहसील– सीमलवाडा
3. श्री सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार सीमलवाडा जिला डूंगरपूर

विपक्षीगण

उपस्थित :–
1. श्री नरेश जोशी, अधिवक्ता प्रार्थी
2. श्री अब्दुल सलाम गौरी, अधिवक्ता विपक्षीगण

प्रार्थना–पत्र राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम 1970 के नियम 14 (4) के तहत्

–:: निर्णय ::–

प्रकरण में संक्षेप तथ्य इस प्रकार है कि वर्ष 2006 में भूमि आवंटन सलाहकार समिति केम्प झलाई में विपक्षी सं. एक व दो को आराजी नम्बर 2237 में 15 बिस्वा तथा आराजी नम्बर 2236 मे 10 बिस्वा भूमि का आवंटन किया गया। आराजी नम्बर 2237 मे किए गए आवंटन से प्रार्थी का कोई सरोकार नहीं है। आवटंन पश्चात अराजी नम्बर 2236 में किए गए आवंटन की भुमि का 2494 / 2236 नम्बर राजस्व रेकार्ड मे दर्ज किया गया। विपक्षी सं. 1 व 2 को आराजी नम्बर 2236 मे दस बिस्वा भुमि का आवंटन गलत रूप से किया गया। विपक्षी सं. एक व दो को आवटन से पूर्व आवंटन नियमो की पालना नहीं की गई है। मौके पर कब्जा प्रार्थी एवम् उसके परिवार का चला आ रहा है जिसके कम मे उपरोक्त भूमि मे करीब 25 वर्ष पूर्व प्रार्थी व प्रार्थी के पिता द्वारा मकान का निर्माण किया गया और वृक्ष भी प्रार्थी द्वारा लगाए गए है। मोके पर स्थित मकान का फोटो प्रस्तुत किया जा रहा है तथा मकान के आसपास खुली जगह है जिस पर प्रार्थी द्वारा काश्त, सब्जीयों उगाई जाती है। विपक्षी सं. एक व दो द्वारा मौके पर कभी भी काश्त नहीं की गई है और ना ही उसका कभी कब्जा रहा है। करीब तीन माह पूर्व विपक्षी सं. एक व दो मोके पर आए तथा प्रार्थी को कहने लगे की प्रार्थी अपना मकान इस भूमि से हटा लेवे अन्यथा विपक्षीगण प्रार्थी का मकान तोड देगें या आग लगा देगें, यह भूमि का हमने आवंटन कराया हैं विपक्षीगण द्वारा आवंटन के कागजात बताए गए और जमाबंदी की नकल बताई गई। विपक्षी सं. एक व दो के नाम पर खसरा नम्बर खसरा नम्बर 2236 मे जो भुमि का आवंटन किया गया है, वह गलत किया गया है जबकि खसरा नम्बर 2236 आवंटन पश्चात् का नम्बर 2494 / 2236 की इस भूमि के किसी भी हिस्से पर विपक्षी सं. एक व दो का कभी भी कब्जा काश्त नही रहा है और ना ही वर्तमान में है इस कारण विपक्षी सं. एक का आवंटन निरस्त किया जाना आवश्यक है। विपक्षी को आवंटन से पूर्व भुमि का खाली होना आवश्यक था लेकिन मोके पर किसी प्रकार से भूमि खाली नहीं थी उसके बावजुद विपक्षी सं. एक व दो को भूमि का आवंटन कर दिया गया । भूमि आवंटन सलाहकार समिति ने खसरा नम्बर 2236 में एलोटमेन्ट करने से पूर्व मोके पर जाकर निरीक्षण किया होता तो उन्हे मोके पर प्रार्थी का वास्तविक कब्जा प्रगट होता और वह कदापी विपक्षी सं. 1 व 2 को भूमि आवंटित नहीं करते ।राजस्थान भू राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 5 से 11 की पालना नहीं हुई है। आवंटन सलाहकार समिति द्वारा वास्तविक कब्जे के आधार पर भूमि आवंटित नहीं कर भारी भूल की है। अतः खसरा नं. 2236 में किये गये एलोटमेन्ट को निरस्त किया जाकर प्रार्थी को मौके पर पुराने कब्जे के आधार पर भुमि का आवंटन / नियमन हेतु आदेश प्रदान करे।

जिला कलक्टर
डूंगरपुर

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये नोटिस जवाब देही तलब किया गया। विपक्षीगण की ओर से जवाब प्रस्तुत किया कि आराजी नम्बर 2236, व 2237 में कमशः 10 एवं 15 बिस्वा भूमि आवंटन सलाहकार समिति ने नियमो के अनुरूप विपक्षीगण को आवंटीत की गई है। मौके पर विपक्षीगण का ही कब्जा था तथा आवंटन के पश्चात आवंटन समिति द्वारा कब्जा भी परिदत्त किया गया। आज भी मौके पर आराजी संख्या 2236 पर विपक्षीगण का. ही कब्जा है। खसरा संख्या 2236 पर कभी प्रार्थी का कोई कब्जा काश्त नहीं रहा है वर्तमान में एवं आवंटन पूर्व से ही विपक्षीगण का मौके पर कब्जा काश्त होकर विपक्षीगण ही काबिज है। भूमि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा नियमों के अनुरूप विपक्षीगण को भूमि का आवंटन किया गया हैं। आवंटीत भूमि पर कभी प्रार्थी या उसके परिवार का कोई कब्जा काश्त कभी नहीं रहा है मात्र भूमि हडपने की गर्ज से उक्त प्रकार से झुठे आरोप लगाए जा रहे है। भूमि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा भूमि आवंटन नियम 1970 के सभी नियमों की पालना कर भूमि का मौका व विपक्षीगण का कब्जा देखने के बाद ही उक्त भूमि का नियमानुसार आवंटन किया गया है। भूमि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा किसी प्रकार से आवंटन नियमों की अनदेखी नहीं की है। विपक्षी संख्या 3 तहसीलदार कि प्रस्तुत मौका रिपोर्ट में वक्तापुर के मिसल संख्या 1035/2006 आराजी संख्या 2236 व 2237 हाल खसरा नं. 2494/2236 व 2493/2237 के संबंध में पूर्व में भिजवाई गई रिपोर्ट में खसरा नं. 2494/2236 में दर्शाये गए बिन्दु संख्या A में केलुपोश कच्चा मकान माना व नाना का एक ही मकान है, तथा बिन्दु संख्या B चोक बना हुआ है। बिन्दु संख्या C लेट बाथ बने हुए है। बिन्दु संख्या D सरकारी हेडपम्प तथा खसरा नं. 2493/2237 में दर्शाये गए भाग में घुली पत्नि कला का पक्का मकान बना हुआ है।

उभयपक्षो कि बहस सुनी। प्रार्थी के योग्य अधिवक्ता द्वारा अपने प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंकित तथ्यो को दौहराते हुए कथन किया कि विपक्षी सं. एक व दो को आराजी नम्बर 2237 में 15 बिस्वा तथा आराजी नम्बर 2236 मे 10 बिस्वा भूमि का आवंटन किया गया। आराजी नम्बर 2237 मे किए गए आवंटन से प्रार्थी का कोई सरोकार नहीं है। आवटंन पश्चात अराजी नम्बर 2236 में किए गए आवंटन की भुमि का 2494/2236 नम्बर राजस्व रेकार्ड मे दर्ज किया गया। विपक्षी सं. 1 व 2 को आराजी नम्बर 2236 मे दस बिस्वा भुमि का आवंटन गलत रूप से किया गया। विपक्षी को आवंटन से पूर्व भुमि का खाली होना आवश्यक था लेकिन मोके पर किसी प्रकार से भूमि खाली नहीं थी उसके बावजुद विपक्षी सं. एक व दो को भूमि का आवंटन कर दिया गया । अतः खसरा नं. 2236 में किये गये आवंटन को निरस्त किया जावे। विपक्षीगण के योग्य अधिवक्ता द्वारा अपने प्रस्तुत जवाब में अंकित तथ्यो को दौहराते हुए कथन किये कि भूमि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा नियमों के अनुरूप विपक्षीगण को भूमि का आवंटन किया गया हैं। आवंटीत भूमि पर कभी प्रार्थी या उसके परिवार का कोई कब्जा काश्त कभी नहीं रहा है मात्र भूमि हडपने की गर्ज से उक्त प्रकार से झुठे आरोप लगाए जा रहे है। भूमि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा भूमि आवंटन नियम 1970 के सभी नियमों की पालना कर भूमि का मौका व विपक्षीगण का कब्जा देखने के बाद ही उक्त भूमि का नियमानुसार आवंटन किया गया है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

मेरे द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं जवाब का अवलोकन किया एवं उभयपक्षो की ओर से प्रस्तुत बहस पर मनन किया। रेकार्ड में प्रस्तुत मौका जांच रिपोर्ट में वर्तमान में खसरा नं. 2494/2236 में माना व नाना का मकान होना तथा खसरा नं. 2493/2237 में धुली पत्नि कला का मकान होना अंकित किया है। जो प्रार्थीगण की ओर से पेश किये गये फोटोग्राफ से भी प्रमाणित होता है। इस प्रकार विपक्षीगण को आवंटित खसरा नं. 2236 जिसका वर्तमान खसरा नं. 2494/2236 है। जिससे सिद्व होता है कि विपक्षीगण 1 व 2 को आवंटित भूमि के आवंटन शर्तो की पालना नही कि गई है। फलस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। विपक्षीगण सं.1 व 2 को मोजा वक्तापुर तहसील सीमलवाडा के खसरा नं. 2236 वर्तमान खसरा नं. 2494/2236 का किया गया आवंटन निरस्त किया जाता है। पालनार्थ संबंधित को लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 18.02.2026 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम की जावे।

(अंकित कुमार सिंह),
जिला कलक्टर,
डूंगरपुर